अध्याय 1
भाषा एवं उसके विविध रूप

"ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है।" —स्वीट

भाषा सार्थक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा इसके प्रयोक्ता या श्रोता आपस में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।

प्रायः विश्व में पाए जाने वाले सभी जड़ और चेतन प्राणियों के भावाभिव्यक्ति के सभी साधनों को सामान्य रूप से भाषा कह दिया जाता है; किन्तु भाषा विज्ञान में जिस भाषा को ग्रहण किया जाता है वह सांकेतिक आदि से भिन्न मानवीय व्यक्त वाणी है।

वृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है— 'वाग्वै सम्राट् परमं ब्रह्म' वाणी ही संसार का सम्राट है, परं ब्रह्म है।

भाषा शब्द संस्कृत की 'भाष्' धातु से निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है— 'भाष व्यक्तायां वाचि'

'भाष्यते व्यक्तवाग्रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा' अर्थात् व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं।

इसे 'भाषणाद्हिभाषा' भी कहा गया है अर्थात् भाषण करने के कारण भी यह भाषा कहलाती है।'

आचार्य-दण्डी ने काव्यादर्श में कहा है—"वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते" (1/3) वस्तुतः हमारी लोकयात्रा वाग्देवी की कृपा से ही सम्भव हो पाती है।

भाषा की इस प्रकाशशीलता को ध्यान में रखते हुए आचार्य दण्डी कहते हैं—

इदमन्धन्तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्।
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥ 1/4 ॥

यदि शब्द रूपी ज्योति संसार में न जलती तो संसार में चारों ओर अँधेरा ही रहता।

प्रसिद्ध भाषाविज्ञानी आचार्य भर्तृहरि का कथन है, कि भाषा ही ज्ञान को प्रकाशित करती है उसके बिना सविकल्पक (नामरूपादि-गुणयुक्त) ज्ञान सम्भव नहीं है।

न सोऽस्ति प्रत्ययोलोके यः शब्दानुक्रमादृते।
अनुविद्धमिवज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥ (वाक्यपदीयम् [ब्रह्म काण्ड]) (1/124)

Scanned with CamScanner

भाषा में निरन्तर संशोधन और परिष्करण की प्रक्रिया चलती रहती है, अतएव भाषा पुरानी होने पर भी नवीन, कालातीत होने पर भी अद्यतनीन (up-to-date) और वृद्धा होने पर भी नवयुवती बनी रहती है।

ऋग्वेद में उषा को 'पुराणी युवतिः" (3-61-1) कहा गया है। भाषा भी वस्तुतः 'पुराणी युवति' अर्थात् प्राचीन होने पर भी सदा युवती है।

ऋग्वेद में इसकी सततशीलता के लिए कहा गया है—

सम्यक् स्रवन्ति सरितो न धेना अन्तर्हृदा मनसा पूयमानाः ॥ (4-58-6)

अर्थात् वाणी (भाषा) हृदय और मन के द्वारा पवित्र की जाती हुई नदी के प्रवाह के तुल्य निरन्तर चलती है।

महान भाषा शास्त्री पतञ्जलि ने कहा है—

'प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनिः शब्दः' (प्रथम आह्निक)

जिस ध्वनि से पदों के अर्थ प्रतीत हों वह सार्थक ध्वनि शब्द है और यह सार्थक ध्वनि ही भाषा है।

हिन्दी भाषा में इसकी परिवर्तनशीलता के लिए एक लोकोक्ति प्रचलित है—

'चार कोस में बदले पानी आठ कोस में बानी'

भाषा सामाजिक संघटना है तथा मानव जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग भी।

"मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में भाषा का इतना हाथ है कि भाषा की कहानी को सभ्यता की कहानी कहा जाता है।"

मानव समाज को विधाता की ओर से सबसे बड़ा वरदान मिला है वह भाषा का ही है। यह मानव जाति का सार और सर्वस्व है, अतः इसे 'रस' कहा गया है। ऋग्वेद ने इसे अमृत की नाभि (केन्द्र) और 'देवों की जिह्वा' कहा है—

1. पुरुषस्यवाग् रसः, वाच ऋग् रसः। (छान्दोग्य उपनिषद् 1-1-2)
2. जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः। (ऋग्वेद 4-58-1)

वान्द्रिए के अनुसार— "भाषा एक प्रकार का चिह्न है। चिह्न से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं जैसे— नेत्रग्राह्य, श्रोतग्राह्य एवं स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोत्रग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है।" भाषा एक सांस्कृतिक वस्तु है, जिसे हम परम्परा से प्राप्त करते हैं। किसी भी सांस्कृतिक उपलब्धि के समान परम्परा से प्राप्त मातृभाषा अथवा जातीय भाषा का संरक्षण करना, हम सबका कर्त्तव्य है परन्तु अन्य सांस्कृतिक उपलब्धियों के समान जैसे-जैसे संस्कृति में कुछ हेर-फेर होता रहता है, उसी प्रकार भाषा में भी परिवर्तन होते रहते हैं। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की भाषा में अनेक बातों में अन्तर रहता है जैसे— उच्चारण, शब्दों की रचना तथा शब्द भण्डार इत्यादि में। नवीन सांस्कृतिक उपलब्धियों के साथ-साथ भाषा भी अनेक नए रूप ग्रहण करती है जिसका प्रभाव विशेष रूप से नई पीढ़ी के लोगों पर पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं, कि भाषा कोई

Scanned with CamScanner

स्थिर वस्तु नहीं अपितु संस्कृति के समान एक गतिशील तत्त्व है। लक्ष्मीकान्त वर्मा कहते हैं— "भाषा मानव जीवन की सार्थकता को व्यक्त करती है। यह मानव जीवन के विकास की परिचायक है। भाषा न तो एक दिन में बनी है और न बनाई जा सकती है। वह इतिहास की प्रक्रिया से गुजर चुकने के बाद मनुष्य को उपलब्ध हुई है।" सांकेतिक भाषा को छोड़कर भाषा के दो स्वरूप होते हैं :–

मौखिक व लिखित।

मौखिक भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति मौखिक होती है, जबकि लिखित भाषा में ध्वनि संकेतों को प्रतीक रूप में लिखकर व्यक्त किया जाता है।

भाषा की आधुनिक परिभाषाओं में डा० श्यामसुन्दर दास ने अपने ग्रन्थ 'भाषा रहस्य' में कहा है—

"मनुष्य-मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और गति का आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं।"

इसी प्रकार भाषा की अधिक व्यवस्थित एवं सर्वसमावेशी परिभाषा देते हुए डा० भोलानाथ तिवारी ने कहा है—

"भाषा मानव उच्चारणावयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि-प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है, जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं, लेखक, कवि या वक्ता के रूप में अपने अनुभवों एवं भावों आदि को व्यक्त करते हैं तथा अपने वैयक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व, विशिष्टता तथा अस्मिता (Identity) के सम्बन्ध में जाने-अनजाने जानकारी देते हैं।"

इस प्रकार हम कह सकते हैं, कि भाषा साहित्य का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है तथा विश्व की हृदयतन्त्री की झंकार है जिसके स्वर से यह अभिव्यक्ति पाती है।

भाषा की विशेषताएं—

(1) भाषा एक व्यवस्था है। यह अनुकरण द्वारा सीखी जाती है।

(2) यह अर्जित सम्पत्ति है।

(3) यह परिवर्तनशील है।

(4) भाषा सभ्यता के साथ विकास पाती है।

(5) भाषा प्रतीकात्मक है।

(6) भाषा समाज में विचार-विनिमय का साधन है।

(7) भाषा व्यावहारिक दक्षता है।

(8) इसका प्रारम्भ मौखिक है। इसका लिखितरूप सभ्यता और संस्कृति की देन है।

(9) किन्हीं भी दो भाषाओं की संरचना पूर्णतः समान नहीं होती।

Scanned with CamScanner

(10) भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होती है।

(11) भाषा संश्लेषण से विश्लेषण की ओर बढ़ती है।

(12) प्रत्येक भाषा का अपना एक मानक रूप होता है।

(13) भाषा के अनेक स्वरूप होते हैं जैसे— व्यक्ति बोली, समाज भाषा, बोली, मानक भाषा, अमानक भाषा, साहित्यिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा।

भाषा के विविध रूप— भाषा को व्यवहार में लाने की दृष्टि से उसके अनेक रूप हैं। जिस तरह भाषा का व्यवहार समाज में होता है, उसी प्रकार उस भाषा को पढ़ाते समय शिक्षक को अपने उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ व सहायक सामग्री का प्रयोग करना पड़ता है जैसे अंग्रेजी, हिन्दी व संस्कृत भाषाओं को पढ़ाने में कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होगी। भाषा के वे विविध रूप इस प्रकार है—

1. मूल भाषा— सम्पूर्ण विश्व एक परिवार का ही विस्तार है। सर्वप्रथम उस परिवार की एक ही भाषा थी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वह परिवार अनेक शाखाओं में संवर्धित होता चला गया और अपनी मूल परिवार की भाषा अपने साथ ले गया, किन्तु स्थान तथा काल भेद के कारण उस ही मूल भाषा में अनेक परिवर्तन आ गए।

2. मातृ-भाषा— मातृभाषा वह भाषा है, जो माता की गोद में रहकर सीखी जाती है अर्थात् बालक जन्म के साथ ही जिस भाषा को अपने माता-पिता तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों द्वारा व्यावहारिक रूप में सुनता है और बिना किसी श्रम के अनायास ही उस भाषा को शुद्ध रूप में स्वयं भी सीख जाता है, क्योंकि भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। किसी बालक की मातृभाषा प्रादेशिक भाषा और राष्ट्र भाषा भी हो सकती है जैसे— जो बालक गुजरात में रह रहा है उसकी मातृभाषा व प्रादेशिक भाषा गुजराती हो सकती है। इसी प्रकार उत्तरप्रदेश में रहने वाले बालक की मातृभाषा व प्रादेशिक भाषा हिन्दी हो सकती है तथा हिन्दी राष्ट्र भाषा के पद पर भी प्रतिष्ठित है।

3. प्रादेशिक भाषा— प्रादेशिक भाषा वह भाषा है, जिसका प्रयोग प्रदेश या प्रान्त के विस्तृत भूभाग के अधिकांश लोगों के द्वारा किया जाता है। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा गठित भाषावार राज्यों की स्थापना से प्रादेशिक भाषाओं का बहुत विकास हुआ है। भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत संस्कृत, हिन्दी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, काश्मीरी, उर्दू, बंगाली, असमिया, मराठी, सिन्धी आदि के अतिरिक्त नेपाली व कोंकणी भी संविधान स्वीकृति प्राप्त कर चुकी हैं। ये भारोपीय परिवार के अन्तर्गत आती हैं तथा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि द्रविड़ परिवार के अन्तर्गत आती हैं।

4. राज भाषा— स्वतन्त्रता संघर्ष के समय यह अनुभव किया गया, कि भारत के लिए किसी एक प्रतिनिधि या सम्पर्क भाषा की आवश्यकता है और वह भाषा अपेक्षाकृत अधिक लोगों के द्वारा बोली जाने के कारण हिन्दी हो सकती है। अतः स्वतन्त्रोपरान्त भारत में संविधान के अनुच्छेद 343 में उपबन्ध किया गया कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।

Scanned with CamScanner

1963 के राजभाषा अधिनियम में राजकीय कार्यों में हिन्दी भाषा के प्रयोग पर अधिकाधिक बल देने की बात कही गई। 1976 के राजभाषा नियम में कहा गया कि केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी अथवा अंग्रेजी में हो सकते हैं। हिन्दी के पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में ही दिए जाएंगे।

5. राष्ट्र भाषा– भारत एक बहुभाषाभाषी देश है। विभिन्न प्रान्तों में लोगों द्वारा अपनी प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, किन्तु यह आवश्यक है, कि प्रत्येक बालक अपनी मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा जानने के बाद भी एक ऐसी भाषा का ज्ञान अवश्य रखे जिसके माध्यम से वह अपने देश के अन्य भाषाभाषियों के साथ सम्पर्क स्थापित कर सके। यह भाषा ही राष्ट्र भाषा कहलाती है भारतीय संविधान ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया है। हिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा दोनों हैं किन्तु अहिन्दी प्रदेशों में मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा भिन्न हैं। राष्ट्र भाषा राष्ट्रीय गौरव और सम्मान का प्रतीक है। राष्ट्रभाषा का अभाव उस राष्ट्र को ही हीन बना देता है। भावात्मक एकता की दृष्टि से भी राष्ट्रभाषा का अपना महत्त्व है। यह जनसाधारण के हृदय में परस्पर स्नेह का संचार करने में सहयोग करती है।

6. अन्तर्राष्ट्रीय भाषा– विश्व के सभी राष्ट्रों के आपसी पत्र-व्यवहार, व्यापार तथा विचारविनिमय जिस भाषा के माध्यम से होते हैं वह अन्तर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। यह भाषा सभी राष्ट्रों को एक दूसरे के निकट लाने की एक कड़ी है। वर्तमान में अंग्रेजी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है।

7. सांस्कृतिक भाषा– प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति होती है। संस्कृति में उस देश के आचार-व्यवहार, लोकाचार आदि सम्मिलत होते हैं। इस संस्कृति के संरक्षण व संवर्धनहेतु किसी न किसी भाषा की आवश्यकता होती है। यह भाषा सामान्यतः जन साधारण की भाषा से अधिक उदात्त होती है। जनसमुदाय इसे श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। यह भाषा कुछ लोगों की समझ से बाहर होती है तथापि समाज में इसे प्रतिष्ठा मिलती है क्योंकि इसे पूर्वजों की भाषा भी कहा जाता है। सरकार भी संस्कृत को सम्पूर्ण संरक्षण प्रदान करने हेतु इसके ग्रन्थों के रख-रखाव व पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था करती है। 'संस्कृत' भारत की सांस्कृतिक भाषा है। इस भाषा के सम्मान में युगाब्द 5101 (1999-2000) को केन्द्र सरकार द्वारा संस्कृत वर्ष के रूप में घोषित किया गया है।

Scanned with CamScanner

अध्याय 2
संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाएं

देववाणी व सुरभारती आदि नाम से अलंकृत की जाने वाली भाषा संस्कृत का स्थान समस्त भाषाओं में सर्वोत्तम है, किन्तु इसका स्वरूप किस प्रकार परिवर्तित हुआ व वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है? इसका अध्ययन करने के लिए अगर हम भाषा के वर्तमान सर्वेक्षण को देखें तब ज्ञात होता है, कि भारत में इस समय लगभग 179 भाषाएं प्रचलित हैं तथा 544 उप-भाषाएं हैं।

मानव परिवारों की भाँति भाषाओं के भी परिवार होते हैं। एक परिवार की सभी भाषाओं में शब्दावली तथा पद रचना सम्बन्धी समानताएँ होती हैं। इन सभी भाषाओं को चार परिवारों में बाँटा गया है—

भाषा परिवार

भारोपीय परिवार | द्राविड़ी परिवार | आस्ट्रो एशियाई परिवार | तिब्बत बर्मी परिवार

भारत में प्रथम दो परिवारों का स्थान है। भारतीय संविधान में जो भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं वे इस प्रकार हैं— संस्कृत, हिन्दी, पंजाबी, काश्मीरी, उर्दू, बंगाली, आसामी, उड़िया, मराठी, गुजराती, सिन्धी आदि भारोपीय परिवार के अन्तर्गत आती हैं। अभी हाल में ही इसी परिवार की नेपाली व कोंकणी भाषाओं को भी मान्यता दी गई है। तमिल, तेलगु, मलयालम, कन्नड़ आदि द्राविड़ी परिवार के अन्तर्गत आती हैं।

संस्कृत को छोड़कर उपर्युक्त सभी भाषाएं भारत की अर्वाचीन भाषाएं हैं, जो भिन्न प्रदेशों में बोली जाती हैं। संस्कृत भाषा का सम्बन्ध ऐतिहासिक दृष्टि से भारोपीय भाषा परिवार से है। यह परिवार प्राचीन आर्यों का भाषा परिवार था। संस्कृत भाषा की भारोपीय परिवार में स्थिति को निम्नांकित तालिका के रूप में दिखाया जा सकता है—

भारोपीय भाषा परिवार

शतम् वर्ग | केण्टुम वर्ग

शतम् वर्ग: इलीरियन | बाल्टिक | स्लेगेनिक | आर्मेनियन

Scanned with CamScanner

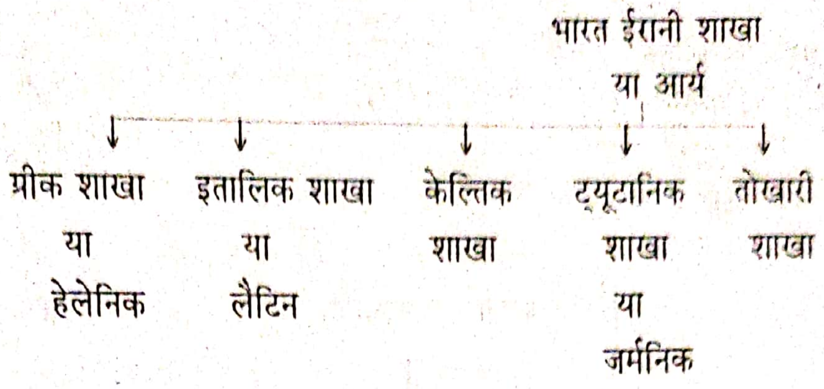

शतम् तथा केण्टुम वर्ग की भाषाओं को बोलने वाले एक ही परिवार के लोग थे। यह स्थान भारत तथा यूरोप का मध्यवर्ती भाग बताया जाता है। इन लोगों के दूरस्थ प्रदेशों में जा बसने से एक ही भाषा शतम् तथा केण्टुम् दो वर्गों में बँट गई।

यूनानी तथा लातीनी भाषाएँ केण्टुम वर्ग की तथा भारत ईरानी भाषाएँ वर्ग की प्रमुख भाषाएँ हैं। वैदिक संस्कृत भारत ईरानी भाषा का भारतीय रूप है। शनैः शनैः आर्य भाषा परिवार का स्वरूप निम्नवत् हुआ—

प्राचीन आर्य भाषा परिवार

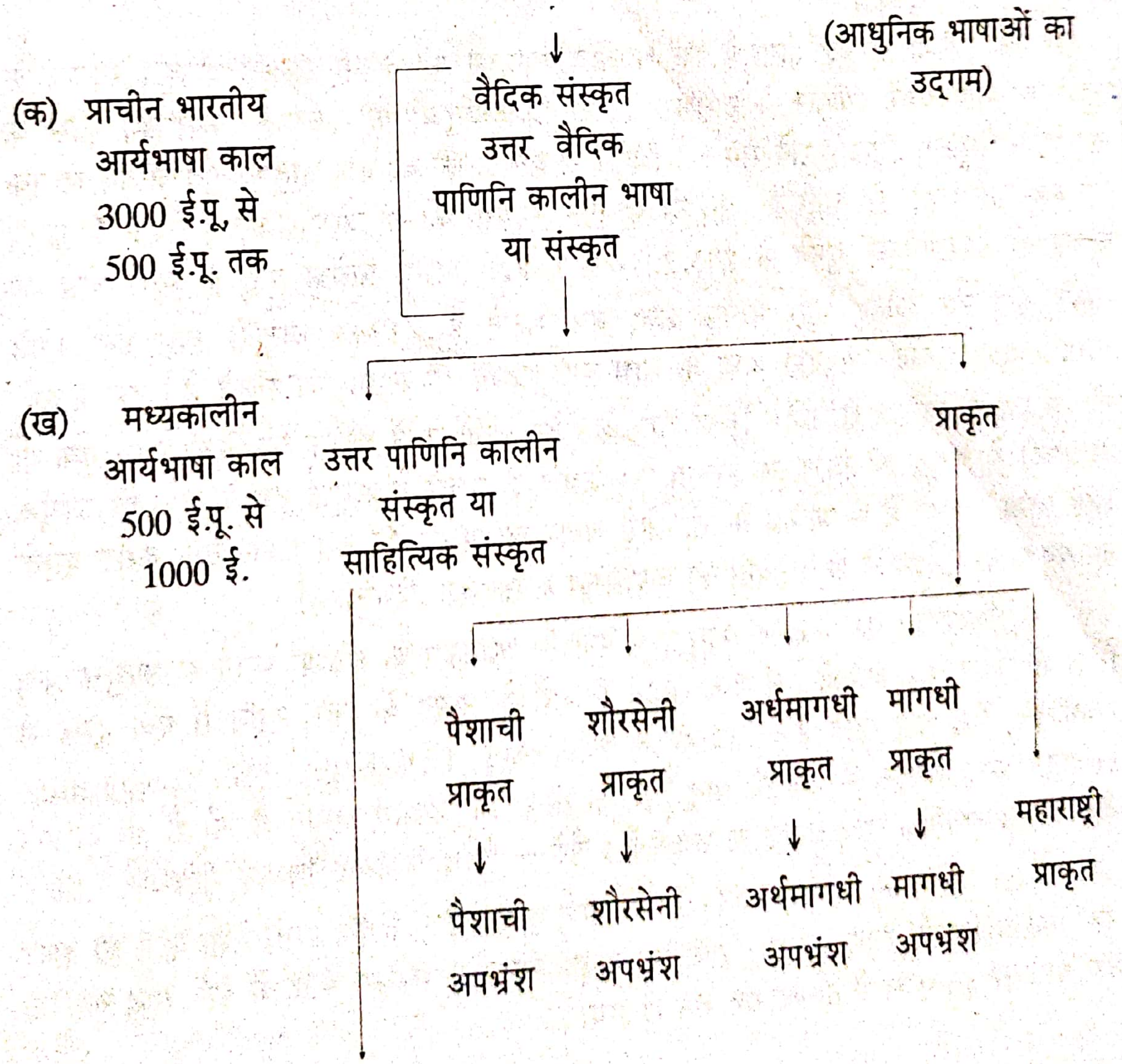

Scanned with CamScanner

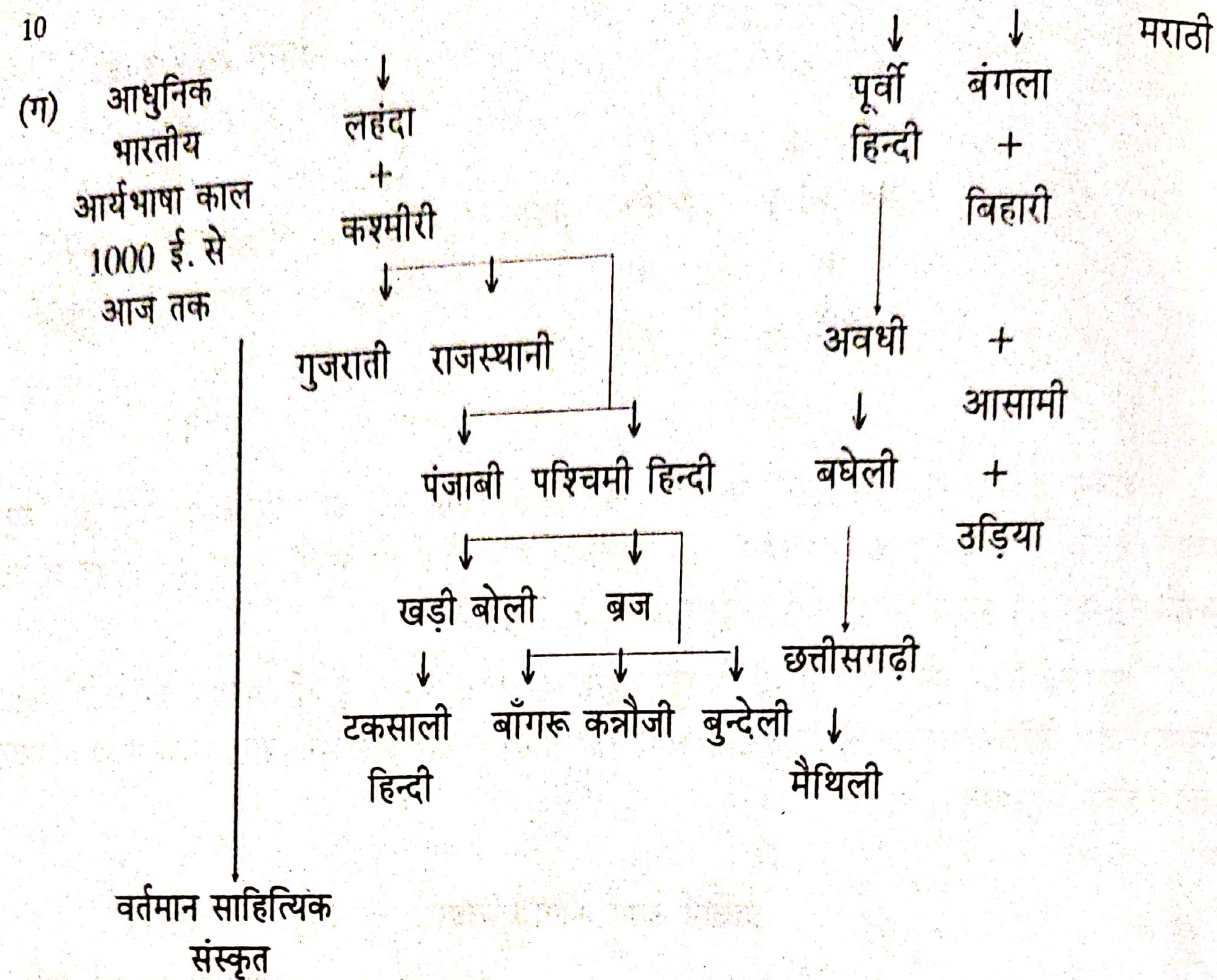

उक्त सारिणी से पुष्ट होता है कि भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत ही है। संस्कृत के महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने लगभग 1700 क्रियाधातुओं का उल्लेख किया है। बीस के लगभग सर्वसुलभ उपसर्ग माने गए हैं। जिनमें से प्रत्येक की हर एक धातु के पूर्व जोड़ने से एक नए शब्द की रचना हो जाती है। हम दो या तीन उपसर्गों को भी जोड़ सकते हैं। एक ही समय केवल दो उपसर्गों को चुनने से 20×20 अर्थात् 400 उपसर्ग प्रत्येक धातु के साथ जोड़े जा सकते हैं। इस प्रकार 400 नवीन शब्द बन सकते हैं। 1700 धातुओं द्वारा इस भाँति 1700×400 अर्थात् 680000 शब्द के साथ-साथ प्रत्यय भी लगाए जा सकते हैं। दस प्रत्ययों को संस्कृत में बहुलता से प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों में से प्रत्येक को किसी अन्य एक या दो शब्दों से संयुक्त भी किया जा सकता है। केवल दो शब्दों से संयुक्त रूप के द्वारा ही उपर्युक्त सात लाख संयुक्तों में से प्रत्येक के सौ जोड़े बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार सात करोड़ शब्दों का बन जाना संस्कृत में शब्द रचना की अपरिमित क्षमता का परिचायक है।

भट्टोजिदीक्षित की सिद्धान्त कौमुदी व पाणिनि व्याकरण के प्रक्रिया ग्रन्थों से उपर्युक्त बात सिद्ध हो चुकी है। अंग्रेज़ी में एक समान विचारों के समूह के लिए ध्वनि में एक दूसरे से सम्बन्धित शब्द पाए जाते हैं— उदाहरणतः Bill, Act, Legislature तथा Constitution इत्यादि। परन्तु संस्कृत में एक ही धातु 'धा' के साथ 'वि' उपसर्ग लगाने से सौ से भी अधिक वैधानिक पारिभाषिक शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे— विधि, विधेयक, विधान, संविधान आदि।

संस्कृत भाषा का अध्ययन करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिलता जिसके लिए हम कह सकें कि अमुक समय में संस्कृत भाषा में इस शब्द का यह रूप था और उत्तरकाल में इसका यह रूप हो गया।

Scanned with CamScanner

अतः यह मानना होगा कि वर्तमान काल की अपेक्षा प्राचीन, प्राचीनतर और प्राचीनतम काल में संस्कृत भाषा विस्तृत, विस्तृततर, विस्तृततम् थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूनसांग लिखता है। प्राचीन काल के आरम्भ में शब्द भण्डार बहुत था।

यदि संसार की समस्त भाषाओं के नवीन और प्राचीन स्वरूपों की तुलना की जाये, तो स्पष्ट ज्ञात होगा कि संसार की सब भाषाओं का आदि मूल संस्कृत भाषा है।

उपर्युक्त कथन की पुष्टि निम्न सारिणी से होती है—

समस्त भाषाओं का आदि मूल संस्कृत भाषा

संस्कृत	हिन्दी	फारसी	अंग्रेजी	जर्मन	फ्रेंच	ग्रीक	लैटिन
मातृ	माता	मादर	Mother	Mutter	Mere	Meter	Mater
पितृ	पिता	पिदर	Father	Vater	Pere	Pater	Pater
भ्रातृ	भाई	बिरादर	Brother	Bruder	Frere	Phrater	Frater
सप्त	सात	हफ्त	Seven	Sieben		Hepta	Septam
दुहितृ	बेटी		Daughter				Dater
नाम	नाम		Name				Namine
द्वि	दो		Two				Dovo डुवो
त्रि	तीन		Three				द्वि
अहि		सफी					
स्तृ (स्तारः)	तारा	सितारा	Star				

गाथिक स्टेयर्नो[1] स्तृभिः[2] संस्कृत के अनेकानेक शब्द अन्य भाषाओं में यथावत् अथवा लगभग समान जैसे स्वीकार किए गए हैं। कतिपय निम्न उदाहरण इसकी पुष्टि करते हैं—

संस्कृत–शुण्ड	अहम्	कुशल	सोम	सेवा	असुर
अवेस्ता–शुण्ड	अजम्	कुशल	होम	हेवा	अहुर

संस्कृत–ताम्बूल	कर्पूर	ऐला
अरबी-ताम्बोल	काफूर	हेल

Scanned with CamScanner

संस्कृत-ओम	हर	मन	शिव
मिस्त्र-आमन्	हर	मनु	सेव

आचार्य पतञ्जलि ने संस्कृत भाषा के प्रयोग क्षेत्र के विषय में सप्तद्वीपा वसुमती ऐसा कहा है इसकी पुष्टि के कुछ प्रमाण उपलब्ध होते हैं :–

"पाणिनीय व्याकरण में 'कानीन' शब्द की व्युत्पत्ति कन्या शब्द से की है और कन्या को 'कनीन' आदेश कहा है। वस्तुतः कानीन की मूलप्रवृत्ति कन्या नहीं है, कनीना है। कुमारार्थक 'कनीन' प्रतिपदिक का प्रयोग वेद में बहुधा मिलता है।" पारसियों की धर्मपुस्तक 'अवेस्ता' में कन्या के लिए 'कइनीन' शब्द का व्यवहार मिलता है।

यह स्पष्टतया वैदिक 'कनीना' का अपभ्रंश है। इससे स्पष्ट होता है कि कभी ईरान में कन्या अर्थ में 'कनीना' का प्रयोग होता था और उसी का अपभ्रंश 'कइनीन' बना।

इस प्रकार वेद के आधार पर अति विस्तार को प्राप्त हुई संस्कृत भाषा मनुष्यों के विस्तार के साथ-साथ देश, काल और परिस्थितियों के विपर्यास तथा आर्यों के मूल प्रदेश केन्द्र से दूरता की वृद्धि होने से शनैः शनैः विपरिणाम को प्राप्त होने लगी।

पातञ्जल महाभाष्य से विदित होता है कि इस अतिमहती संस्कृत भाषा का प्रयोग महाभाष्य के रचना के समय विभिन्न देशों में बँटा हुआ था।

संसार में ज्यों-ज्यों म्लेच्छता (उच्चारण शुद्धि) की वृद्धि होती गई त्यों-त्यों संस्कृत-भाषा का प्रयोग क्षेत्र संकुचित होता गया। कुछ पाश्चात्य भाषाविदों ने संस्कृत को प्राचीन मानते हुए भी उसे संसार की आदिम भाषा नहीं माना। उनका मत है— प्रागैतिहासिक काल में संस्कृत से पूर्व कोई इतर भाषा (इण्डोयोरोपियन भाषा) बोली जाती थी किन्तु यह ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि समय परिवर्तन के कारण संस्कृत भाषा में भी अनेक परिवर्तन हुए। संस्कृत भाषा को भविष्यत् में परिवर्तनों से बचाने के लिए पाणिनि ने अपने महान व्याकरण की रचना की। उसके द्वारा भाषा को इतना बाँध दिया कि पाणिनि से लेकर आज तक उसमें कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ।

एक बार अमरीका से दिल्ली आए हुए डा० फैलिक्स बालई (अमरीकी रिपोर्टर) ने कहा था, कि "संस्कृत सभी इण्डोयोरोपियन भाषाओं की जननी है। अमरीका में संस्कृत के प्रभाव का यह भी ज्वलन्त प्रमाण है कि वहाँ के कई शहरों और नगरों के नाम संस्कृत के अपभ्रंश रूप हैं जैसे— कॉलीबाव (कॉलियाम), कालमक (कालमुख), चयन्त (जयन्त)' इत्यादि। जर्मनों की संस्कृत पढ़ने की रुचि आरम्भ से ही है। वर्बर, बलवर, इत्यादि संस्कृत के विद्वान यहीं हुए थे। मैक्समूलर का भी अधिक समय यहीं बीता था। गत वर्षों में जर्मनी से आये हुए डा० आल्सफोर्ड ने नागपुर में अपने भाषण में कहा था कि— "जर्मनी के लोग बड़े गर्व से संस्कृत पढ़ते हैं।"

अफगानिस्तान से आये हुए मुहम्मद आशिम ने बम्बई के अपने भाषण में कहा था कि "इन दोनों देशों की प्रधान भाषा संस्कृत है।"

पाश्चात्य ईसाई मत के अनुसार सारे इतिहास को ईसा पूर्व 6 सहस्र वर्षों में सीमित करने की दृष्टि से विद्वानों ने संस्कृत-वाङ्मय के प्राचीन ग्रन्थों का अपने ढंग से अध्ययन करके और

Scanned with CamScanner

उसमें स्वकल्पित भाषाशास्त्र का पुट देकर उनका कालक्रम निर्धारित किया है। उसमें मन्त्रकाल ब्राह्मणकाल आदि अनेक काल्पनिक काल विभाग किये है। उन्होंने संस्कृत भाषा में यथाक्रम परिवर्तन दर्शाने का विफल प्रयास किया है। आधुनिक भाषाशास्त्रियों के द्वारा संस्कृत भाषा में जो परिवर्तन बताया जाता है वह उसके ह्रास के कारण प्रतीत होता है।

आधुनिक भाषाओं में भी इसका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है। जिसका स्वरूप निम्न सारिणी में प्रस्तुत है।

Scanned with CamScanner